

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

धारा 23 : विनियम बनाने की शक्ति

बोर्ड, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए नियमों से संगत विनियम बना सकेगा।
